

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-105/20-3/2008

भोपाल दिनांक 05-12-08

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली।


अशासकीय शिक्षण संस्था सुभाष माटेसरी पाठ्यक्रम स्कूल, सोंसर जिला छिन्दवाडा को सी.वी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-----0000-----

राज्य शासन द्वारा विपसावित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधारे संस्था को सी.वी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- 1) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण सचिवनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 2) संस्था की प्रबंध करिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- 3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कानूनी अग्नि समन आदि की आवश्यक रूप में व्यवस्था होगी तथा इन संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संकेत में संलग्न-नियंत्रण पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( ए.एस.एम. )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 73-105/20-3/2008  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक .....


1- सचिव,(संबधित संस्था/समिति) अशासकीय शिक्षण संस्था सुभाष माटेसरी पब्लिक स्कूल, साँसर जिला छिन्दवाडा की ओर अग्रोधित। अशासकीय शिक्षण संस्था सुभाष माटेसरी पब्लिक स्कूल, साँसर जिला छिन्दवाडा को सी.वी.एस.ई. से सम्बद्धता, मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है.-

- (1) संस्था सी.वी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करता है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।


- 2- आयुक्त,लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छिन्दवाडा, म0प्र0।
- 4- ऑर्डर बुक।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग



  
सचिव  
साँसर शिक्षण एवं बाल विकास  
समिति साँसर

  
साँसर शिक्षण एवं बाल विकास  
समिति साँसर